न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :- राजस्व वाद संख्या :- 92/2025

मखन सिंह बनाम मन्दर सिंह व अन्य

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(क व घ) सिविल प्रक्रिया संहिता.

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री जसकरण सिंह औलख अधिवक्ता — प्रार्थी/प्रतिवादी 1 ता 3
2. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता — अप्रार्थी /वादी

-:: आदेश ::- दिनांक :- 15.09.2025

वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (क व घ) सी.पी.सी., पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्यानुसार उपरोक्त अनवान का वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आज की तारीख पेशी वास्ते जवाब दावा हेतु नियत है। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट के वर्णित अभिवचनो के स्वयं के आधार पर विधि से वर्जित है एवम् बिना आयन्दा विचारण इसी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य है। धारा 88 आर टी एक्ट के तहत अधिकारो की घोषणा होने के उपरान्त ही धारा 53 व 92(क) व 188 आर टी एक्ट के तहत अनुतोष प्रदान किया जा सकता है और धारा 88 का वाद ही विधि से वर्जित होने की अवस्था में सम्पूर्ण वाद नाकाबिल चलने के है। आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के आवेदन पत्र का निस्तारण वाद पत्र के अभिवचनों से होना है। इस हेतु प्रतिवादी के जवाब दावा या अन्य किसी भी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। वादी द्वारा अपने वाद में राजीनामा दिनाँक 21-07-2007 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 की स्वंय अर्जित कृषि भूमि वाके चक 8 एच बड़ा मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 20 की 0.085 हैक्टेयर व किला नम्बर 21 की 0.042 हैक्टेयर कुल 0.127 हैक्टेयर कृषि भूमि अपने वाद पत्र में कथन कर उक्त 0.127 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा है। जबकि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी खातेदार की स्वंय अर्जित कृषि भूमि पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से ही अन्तरित की जा सकती है। ऐसे किसी राजीनामा से स्वंय अर्जित कृषि भूमि का अन्तरण करने का प्रावधान किसी भी विधि में न होने एवम् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत ऐसे दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करने का कोई प्रावधान न होने के कारण वाद विधि से वर्जित है तथा वादी का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11(क व घ)सी पी सी के प्रावधानो के तहत खारिज किये जाने योग्य है। वाद में वर्णित अभिवचनो के अवलोकन मात्र से वादी को मौजूदा वाद पत्र प्रस्तुत करने ओर वर्णित अभिवचनों के आधार पर कोई वाद कारण प्राप्त नही होता है तथा ना ही कोई वाद हेतुक प्रकट होता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु कानूनी है जिसका सर्वप्रथम निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र सद्भाविक तथ्यों के बिना किसी देरी के प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त अनवानी वाद इसी स्तर पर बिना विचारण किये निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:13:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित अनुसार वाद विचाराधीन होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 अस्वीकार है। वादी की ओर प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने का तथ्य उजागर नहीं है। पारिवारिक समझौते अनुसार आपसी सहमति से किए गए राजीनामा के आधार पर वाद में वर्णित कृषि भूमि का कब्जा भी वादी को सपुर्द किया हुआ इसलिए वादी अपने अधिकारो की घोषणा हेतु वाद दायर करने का विधिक अधिकारी है। वादी के वाद दायर करने के अधिकार को किसी भी विधि द्वारा वर्जित नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 के तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने विधिक प्रावधानो के विपरीत असत्य तथ्यो पर प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानो को मनमानी व्याख्या करते हुए तोड़ मरोड़ कर न्यायालय को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। पारिवारिक समझौते अनुसार आपसी सहमति से किए गए राजीनामा के आधार पर भूमि का लेन देन कर प्राप्त हुई अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यो एवं विधि के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्ती है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में कथन अस्वीकार है। वाद पत्र में दो भाईयो हरनेक सिंह एवं मन्दरसिंह के मध्य चक 2 आर एवं चक 8 एच बड़ा की कृषि भूमि का आपसी सहमति से राजीनामा कर कब्जे का लेन देन किया गया है तथा उक्त राजीनामा/समझौता को सही एवं सत्य होना मानकर वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने अपने हस्ताक्षर/अगूंठा निशान किए तथा कब्जा भी सपुर्द किया गया इसे सही मानकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के परिजनो ने हस्ताक्षर किये है उक्त दस्तावेज एक पारिवारिक सहमति एवं राजीनामा अनुसार निष्पादित किया हुआ है। विधि में पारिवारिक सदस्यो द्वारा मिलकर आपसी सहमति से किए गए समझौते को मान्यता दी हुई तथा इसकी पालना की जाकर कब्जा का लेन देन भी दिनांक 21/07/2007 से किया हुआ है इसे दोनो पक्षो द्वारा स्वीकार कर लिया गया है इसी राजीनामा को न्यायालय में प्रस्तुत कर उसके आधार पर घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है आपसी समझौते एवं राजीनामा पर सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। वादी अपने अधिकारो की घोषणा हेतु वाद दायर करने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानो के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण काबिले निरस्ती है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 जिसको प्रार्थना पत्र में मिस करके चरण संख्या 6 अंकित किया गया है के कथन अस्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 7 में वाद कारण का विस्तृत विवरण दिया हुआ है। दिनांक 16/05/2025 को प्रतिवादी संख्या 1 को कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने हेतू कहने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से कृषि भूमि नाम करवाने का आश्वासन दिया लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि बैंक के पक्ष में रहन होने के कथन करते हुए वादी को प्राप्त हुई कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने से साफ इन्कार कर दिया यह बिनाय मुखास्मत है उसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 सुनियोजित षडयन्त्र करके वादी को उसके हक व हिस्सा से वंचित करने के आश्य से तथ्यो को तोड़ मरोड़ कर आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो काबिले [illegible] प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 जिसको प्रार्थना पत्र में चरण संख्या 7 [illegible] किया हुआ है अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नहीं करके अनुचित [illegible] करने की गर्ज से पेश किया गया है जो काबिले निरस्ती है [illegible] का वाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो से प्रभावित नहीं होता है जबकि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण पोषणीय नहीं है तथा काबिले निरस्ती है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता संव्यय खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:13:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी की मुख्य बहस यह रही कि है। ऐसे किसी राजीनामा से स्वंय अर्जित कृषि भूमि का अन्तरण करने का प्रावधान किसी भी विधि में न होने एवम् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत ऐसे दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करने का कोई प्रावधान न होने के कारण वाद विधि से वर्जित है तथा वादी का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 (क व घ) सी पी सी के प्रावधानो के तहत खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त वादी के द्वारा अपने वाद का मुख्य आधार दिनाँक 21–07–2007 का राजीनामा होना अभिकथन कर, इस राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 की स्वंय अर्जित कृषि भूमि वाके चक 8 एच बड़ा मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 20 की 0.085 हैक्टेयर व किला नम्बर 21 की 0.042 हैक्टेयर कुल 0.127 हैक्टेयर कृषि भूमि अपने वाद पत्र में कथन कर उक्त 0.127 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा है। जबकि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी खातेदार की स्वंय अर्जित कृषि भूमि पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से ही अन्तरित की जा सकती है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज होने योग्य है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जावे। **वकील वादी की मुख्य बहस यह रही कि** वादी की ओर प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने का तथ्य उजागर नहीं है। पारिवारिक समझौते अनुसार आपसी सहमति से किए गए राजीनामा के आधार पर वाद में वर्णित कृषि भूमि का कब्जा भी वादी को सपुर्द किया हुआ इसलिए वादी अपने अधिकारो की घोषणा हेतु वाद दायर करने का विधिक अधिकारी है। वादी के वाद दायर करने के अधिकार को किसी भी विधि द्वारा वर्जित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने विधिक प्रावधानो के विपरीत असत्य तथ्यो पर प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानो को मनमानी व्याख्या करते हुए तोड़ मरोड़ कर न्यायालय को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। पारिवारिक समझौते अनुसार आपसी सहमति से किए गए राजीनामा के आधार पर भूमि का लेन देन कर प्राप्त हुई अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है। वाद पत्र में दो भाईयो हरनेक सिंह एवं मन्दरसिंह के मध्य चक 2 आर एवं चक 8 एच बड़ा की कृषि भूमि का आपसी सहमति से राजीनामा कर कब्जे का लेन देन किया गया है तथा उक्त राजीनामा/समझौता को सही एवं सत्य होना मानकर वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने अपने हस्ताक्षर/अगूंठा निशान किए तथा कब्जा भी सपुर्द किया गया इसे सही मानकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के परिजनो ने हस्ताक्षर किये है। इसी राजीनामा को न्यायालय में प्रस्तुत कर उसके आधार पर घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है आपसी समझौते एवं राजीनामा पर सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधान लागु नहीं होते है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से कृषि भूमि नाम करवाने का आश्वासन दिया लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि बैंक के पक्ष में रहन होने के कथन करते हुए वादी को प्राप्त हुई कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने से साफ इन्कार कर दिया यह बिनाय मुखास्मत है उसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 सुनियोजित षडयन्त्र करके वादी को उसके हक व हिस्सा से वंचित करने के आश्य से तथ्यो को तोड़ मरोड़ कर आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो काबिले निरस्ती है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (क व घ)सी.पी.सी. सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बहस उभ्यपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्कोप अत्यन्त सीमित होता है। इस स्तर पर वाद पत्र में अभिलिखित अभिकथनों के सही होने की अवधारणा की जाती है। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट लिखा है कि :–

(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navan Gautam
Date: 2025.12.19 11:13:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(ख)– जहां दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन कम किया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग)– जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ)– जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड़)– जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।

(च)– जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वादी के द्वारा अपने वाद का मुख्य आधार दिनांक 21.07.2007 का राजीनामा होना अभिकथन कर, इस राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 की स्वंय अर्जित कृषि भूमि वाके चक 8 एच बड़ा मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 20 की 0.085 हैक्टेयर व किला नम्बर 21 की 0.042 हैक्टेयर कुल 0.127 हैक्टेयर कृषि भूमि अपने वाद पत्र में कथन कर उक्त 0.127 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज बैनामा दिनांक 25.01.1994 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि हरनेक सिंह पुत्र करनैल सिंह द्वारा जरिए पंजीकृत बैयनामा के महेन्द्र सिंह उर्फ मंदर सिंह पुत्र करनैल सिंह को चक 8 एच बड़ा के खाता संख्या 72/81+82 के मुरबा नम्बर 12(14 बीघा 10 बिस्वा), मुरबा नम्बर 15 के तीन बीघा, मुरबा नमबर 36 के 18 बिस्वा, 38 के 2 बीघा 5 बिस्वा तादादी 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से अपने $89\frac{17}{20}$ हिस्सा में से 60 हिस्सा यानि 3 बीघा नहरी भूमि का बेचान/अन्तरण किया जा चुका है। जबकि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी खातेदार की स्वंय अर्जित कृषि भूमि पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से ही अन्तरित की जा सकती है। ऐसे किसी राजीनामा से स्वंय अर्जित कृषि भूमि का अन्तरण नहीं किया जा सकता है एवम् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत ऐसे दस्तावेज राजीनामा दिनांक 21.07.2007 के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा नहीं की जा सकती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वार प्रस्तुत वाद विधि से वर्जित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (क व घ)सी पी सी के प्रावधानो के तहत खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 15.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:13:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner